निबंधित / मेल

बिहार सरकार
(परिवहन विभाग)
*****

पत्रांक–4/STA- अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा -157/2015 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :– **भारत–नेपाल परिवहन समझौता के अन्तर्गत बिहार एवं नेपाल के चिन्हित मार्गो पर निर्गत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के संबंध में ।**

प्रसंग :– **प्रशाखा पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मंडल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली का दिनांक–20.06.2018 का ई–मेल।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि भारत–नेपाल पारस्परिक परिवहन समझौता, 2015 के संदर्भ में बिहार–नेपाल के दो अन्तर्राष्ट्रीय मार्गो यथा–पटना–जनकपुर एवं बोधगया–काठमांडू पर राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा कुल छः परमिटो का निर्गमन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रतिहस्ताक्षर कराते हुए इस विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

प्रशाखा पदाधिकारी, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मंडल / शाखा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक–20.06.2018 को ई–मेल के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया है कि विदेश मंत्रालय, नेपाल सरकार द्वारा काठमांडू–बोधगया एवं जनकपुर–पटना अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर 8 (आठ) बसों के परिचालन के लिए प्रतिहस्ताक्षर हेतु परमिट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित शुल्क से संबंधित जानकारी की भी मांग की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में अवगत कराना है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षर हेतु कुल शुल्क रू0 3000 / – है जिसमें प्रतिहस्ताक्षर शुल्क रू 2000 / – एवं प्रक्रिया शुल्क रू0 1000 / – संलग्न है। उक्त राशि सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, (STA) बिहार, पटना के पक्ष में देय होगा।

विदित है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0–11017/ 64/ 2014-IC दिनांक–04.09.2017 द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया था कि काठमांडू–पटना–बोधगया एवं जनकपुर–पटना अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर स्वयंभू मंजू श्री यातायात (प्रा0) लि0 द्वारा किया जा सकेगा।

अतः उपर्युक्त शुल्क के साथ विदेश मंत्रालय, नेपाल सरकार से प्राप्त परमिट को प्रतिहस्ताक्षर हेतु परिवहन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय। ताकि परमिट का प्रतिहस्ताक्षर करते हुए पुनः आपको उपलब्ध करायी जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0 / –
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–**4/STA- अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा -157/2015** 4167 / पटना, दिनांक– 27/6/18

प्रतिलिपिः श्रीमती सुचिता किशोर, अवर सचिव (नेपाल), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.06.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

Phone No.: 0612-2547448, Fax: 0612-2546212, Email: stcbihar@gmail.com